Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भरतपुर में आबकारी निरीक्षक एवं उसका दलाल (प्राईवेट चालक) 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *07 जून, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भरतपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये पुनीत शर्मा आबकारी निरीक्षक, वृत–बयाना, जिला भरतपुर को उसके दलाल श्यामवीर सिंह त्यागी (प्राईवेट चालक) सहित परिवादी से 50 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भरतपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी लाईसेंसशुदा शराब की दुकानों पर कार्यवाही नहीं करने, निर्बाध रूप से चलने देने तथा दुकानों की लोकेशन निर्धारित करने की एवज में पुनीत शर्मा आबकारी निरीक्षक, वृत–बयाना, जिला भरतपुर द्वारा अपने दलाल श्यामवीर सिंह त्यागी (प्राईवेट चालक) के माध्यम से मंथली के रूप में 1 लाख रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी भरतपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेश मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री नवल किशोर मीणा** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये पुनीत शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा निवासी न्यू आदर्श नगर कॉलोनी, 220 केवी, बाड़ी रोड़, पुलिस थाना कोतवाली, जिला धौलपुर हाल आबकारी निरीक्षक, वृत–बयाना, जिला भरतपुर को उसके दलाल श्यामवीर सिंह त्यागी पुत्र श्री मेडूराम त्यागी निवासी लादूखेड़ा, पुलिस थाना सैंया, जिला आगरा उ.प्र. हाल (प्राईवेट चालक) के माध्यम से परिवादी से 50 **हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।